मध्यप्रदेश विधान सभा

अक्टूबर-दिसम्बर, 2000 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 5 दिसम्बर, 2000 (अग्रहायण 14,1922)

समय 10.30 बजे दिन

1. निधन का उल्लेख

निम्नलिखित के निधन संबंधी उल्लेख :-
(1) श्री मन्मथनाथ गुप्त, प्रखर क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी,
(2) श्री नरेश मेहता, सुप्रसिद्ध साहित्यकार; तथा
(3) पंजाब के अंबाला-सरहिंद मार्ग पर रेल दुर्घटना में मृत व्यक्ति.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) चौधरी राकेश सिंह, श्री रावदेशराज सिंह यादव, सदस्य, प्रदेश के अधिकांश जिलों में भू-जल स्तर में गिरावट होने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री गोपाल भार्गव, भूपेन्द्र सिंह, श्रीमती सुधा जैन, सदस्य, सागर जिले के ग्राम बलेह में एक कृषक द्वारा आत्महत्या किये जाने की ओर ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री सईद अहमद, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का सतासी वां, अठासी वां, नवासी वां, नब्बे वां, इक्यानवे वां, बानवे वां, तिरानवे वां, चौरानवे वां, पचानवे वां, छियानवे वां, सतानवे वां, अठानवे वां, निन्यानवे वां, एक सौ वां, एक सौ एक वां, एक सौ दो वां, एक सौ तीन वां, एक सौ चार वां तथा एक सौ पांच वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. उप मुख्यमंत्री का वक्तव्य

श्री सुभाष यादव, उप मुख्यमंत्री, दिनांक 21 नवम्बर, 2000 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 30 (क्रमांक-2707) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

6. प्रतिवेदनों के प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि के प्रस्ताव

(1) श्री पी.सी. शर्मा, सभापति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"मध्यप्रदेश किराया विधेयक, 1999 (क्रमांक 25 सन् 1999) पर विचार हेतु निर्मित प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अन्तिम दिवस तक की वृद्धि की जाय."

(2) चौधरी राकेश सिंह, सभापति, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :-

"मध्यप्रदेश भूमि प्रबंधन विधेयक, 1999 (क्रमांक 30 सन् 1999) पर विचार हेतु निर्मित प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अन्तिम दिवस तक की वृद्धि की जाय."

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित समय 3 घन्टे

डॉ. विजयलक्ष्मी साधो, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगी कि मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद् विधेयक, 2000 (क्रमांक 31 सन् 2000) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक पारित किया जाय.

8. नियम 52 के अधीन आधे घन्टे की चर्चा

(1) दिनांक 9 नवम्बर, 2000 को उच्च शिक्षा मंत्री से पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्रमांक-424) के उत्तर से उद्भूत विषय पर चौधरी राकेश सिंह, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

(2) दिनांक 21 जुलाई, 2000, 5 नवम्बर, 1999 तथा 24 फरवरी, 2000 को ग्रामोद्योग मंत्री से पूछे गये क्रमशः तारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्रमांक-487), अतारांकित प्रश्न संख्या 31 (क्रमांक-1654) तथा तारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्रमांक-1833) के उत्तर से उद्भूत विषय पर एडव्होकेट विद्यावती पटेल, सदस्य, चर्चा उठायेंगी.

भोपाल :
दिनांक : 4 दिसम्बर, 2000

के.पी. तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.